फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम अनूपगढ़

रजवन्त कौर आदि **बनाम** स्टेट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम नम्बर......57......सन् 2024

जी.सी.एम.एस. आईडी :2024 / ......234......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
26.12.2024	प्रकरण न्यायालय अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर के पत्रांक / 1870 दिनांक 22.11.2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी सं. 1 रजवन्त कौर की ओर से श्री रविन्द्र बलाना अधिवक्ता वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश की प्रति संलग्न प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को कमीपूर्ति में रखी गयी थी। लेकिन आज दिनांक तक अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। वकील अपीलार्थी की एडमिशन बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपील के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को बिना आलौच्य आदेश की प्रति के डिस्पेन्सविद करने हेतु निवेदन किया गया है। अपील सर्वप्रथम दिनांक 20.11.2024 को प्रस्तुत की गयी थी जिस रोज से आज दिनांक तक अपीलार्थीगण को निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में बिना अपीलाधीन आदेश की प्रति के अपील को दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर अनूपगढ़	न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)